न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/73 **दायरा दिनांक : 15.06.2021**

उनवान

1– हेमराज पुत्र श्री गणपत, आयु 24 वर्ष, जाति सहरिया,
2– सोना पुत्री श्री गणपत, आयु 31 वर्ष, जाति सहरिया,
निवासीगण खुशालपुरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– श्रीमती बिन्दा पत्नि श्री मंगल, आयु 48 वर्ष, जाति सहरिया, निवासी शुभघरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 28.12.2023**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 31/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम खुशालपुरा, पटवार क्षेत्र शुभघरा, तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नम्बर 320 रकबा 2.08 बीघा, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 322 रकबा 12.16 बीघा किता 3 रकबा 15.06 बीघा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2019 से वादिनी का वाद स्वीकार कर वादिनी को ग्राम खुशालपुरा, तहसील शाहाबाद की विवादित आराजी खसरा नम्बर 320 रकबा 2.08 बीघा, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.02 बीघा तथा खसरा नम्बर 322 रकबा 12.16 बीघा का खातेदार घोषित किया और तहसीलदार शाहबाद को आदेशित किया कि उक्त विवादित आराजी को प्रतिवादीगण के स्थान पर वादिनी के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खाता दर्ज कर अमल किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वे वादिनी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी न तो स्वयं करें, न अन्य से करावें। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को लिखा जाये, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 24.06.2019 पत्रावली के तथ्यों, साक्ष्यों, दस्तावेजों से असंगत एवं पुराने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध विधि विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद का निर्णय पुराने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार पारित नहीं किया, इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 01 जाति से सहरिया एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते है। सहरिया जाति में रीति–रिवाज प्रथा एवं रूढ़ियों अनुसार विरासत तय होती है। सहरिया जाति की महिला को उत्तराधिकार प्राप्त नहीं है। सहरिया जाति के मृतक पुरुष की विधवा को अपने जीवनकाल तक अपने पति की सम्पत्ति से जीवकोपार्जन करने का सीमित अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाब दावा व प्रतिदावा में वर्णित

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तथ्यों के सम्पूर्ण विवाद्यक विरचित न कर वाद वादिया के पक्ष में निर्णित करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 1 का साक्ष्य एवं विधि अनुरूप विधि सम्मत विनिश्चय न कर रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के पक्ष में डिक्री पारित करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है, अस्तु निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अपने वाद में अमरलाल एवं उसकी बेवा वीरों की मृत्यु कब हुई, कहां हुई एवं उक्त दोनों मृतकों के अन्तिम क्रिया–कर्म किसने किये, मृतक अमरलाल की पगड़ी किसके बंधी, यह सम्पूर्ण तथ्यों को अपने वाद में नहीं दर्शाया, इस कारण रेस्पोडेन्ट क्रम 01 द्वारा प्रस्तुत वाद उक्त तथ्यों के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य था, जिसे स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की भारी भूल की है, अस्तु निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय हैं। मृतक अमरलाल की मृत्यु के 15 वर्ष पश्चात फर्जीवाड़ा कर मृतक अमरलाल की कूटरचित एवं फर्जी वसीयत को आधार बनाकर उक्त वाद पेश किया है, जो कालबाधित होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को स्वीकार कर डिक्री करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। वसीयतनामा प्रदर्श–4 पर वसीयतकर्ता के फोटो नहीं है और उक्त वसीयतनामे पर अमरलाल का चस्पा अंगूठा निशानी किसी भी प्रमाणित दस्तावेज एवं वसीयत के गवाहान द्वारा साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने संदेहास्पद अमान्य एवं निरर्थक वसीयतनामे को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित मानकर रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के पक्ष में वाद डिक्री करने में भारी भूल की है, अस्तु निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के कब्जे काश्त एवं गणपत मृतक अमरलाल का दत्तक पुत्र होने बाबत डी. डब्ल्यू– 1, डी. डब्ल्यू.–2 व डी. डब्ल्यू.–3 की साक्ष्य को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। वसीयत का प्रमाणन करने बाबत सिविल न्यायालय को एकमात्र श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है। वसीयती उत्तराधिकारी होने बाबत रेस्पोडेन्टगण उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना, राजस्व न्यायालय को वसीयती उत्तराधिकारी को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का क्षेत्राधिकार नहीं होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो यथावत रहने योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा प्रदर्श–4 के गवाह औकार व दोज्या दीगर जाति एवं गांव के बाहर के व्यक्ति है, जिन्होंने वसीयतनामा पर वसीयतकर्ता द्वारा अपनी उपस्थिति में लगाये गये अंगूठा निशानी का प्रमाणन नहीं किया और ना ही मौखिक साक्ष्य में उक्त वसीयतकर्ता के अंगूठा निशानी को वादिया एवं उसके गवाहान द्वारा प्रमाणन नहीं करने से उक्त वसीयत संदेहास्पद होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रमाणित वसीयत को प्रमाणित मानकर निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी भूल की है। अपीलान्टगण ने स्वयं अपनी साक्ष्य एवं गवाहान की साक्ष्य से विवादित आराजियात पर अपने पूर्वजों सहित 50 वर्ष से काबिज होने के तथ्य को बखूबी साबित किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा कर उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित करने में भारी भूल की है, अस्तु निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। खातेदार मृतक अमरलाल की मृत्यु उपरान्त फौती नामान्तरकरण संख्या 394 से मृतक अमरलाल की बेवा वीरों को विरासतन खातेदारी प्राप्त हुई है। वीरों ताउम्र गणपत एवं अपीलान्ट के साथ रही, अपीलान्ट ने ही वीरों का अन्तिम क्रिया–कर्म किया एवं वीरों की मृत्यु उपरान्त फौती नामान्तरकरण संख्या 1097 दिनांक 05.02.2013 से मृतका वीरों की आराजी अपीलान्टगण को विरासतन प्राप्त होने से रेस्पोडेन्ट क्रम 01 को उक्त आराजी बाबत किसी भी प्रकार का वादाधिकार न होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 01 के पक्ष में वाद डिक्री किया है, जो अवैधानिक है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2019 निरस्त फरमाया जावें।

4 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.04.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

5 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

6 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर.1998

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्धन अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7 बहस अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी गई। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

8 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अमरलाल पुत्र लोहसे के नाम दर्ज थी। अमर लाल लाऔलाद फौत हुआ, उसने गणपत पुत्र चिंटू को गोद लिया था। हेमराज व सोना, गणपत के पुत्र व पुत्री हैं। सरवदी गणपत की पत्नी है। वीरो बाई को अमर लाल ने पत्नी के रूप में अपने साथ रखा था। अमर लाल की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 394 से वीरो के नाम दर्ज हुई। वीरों की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 1097 से वादग्रस्त आराजी हेमराज पुत्र, सोना पुत्री व सरवदी बेवा गणपत के नाम दर्ज हुई। वादिनी रेस्पोडेंट नं. 1 अमरलाल की बहन की पुत्री है। जिसने अधीनस्थ न्यायालय में अमरलाल द्वारा वर्ष 1995 में निष्पादित वसीयत के आधार पर वर्ष 2015 में दावा पेश किया। वादिनी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा प्रस्तुत वसीयत फर्जी है। यदि अमरलाल द्वारा वादिनी रेस्पोडेंट नं. 1 के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित की थी तो उसे तुरन्त वर्ष 2001 में अमरलाल की मृत्यु पश्चात् दावा पेश करना चाहिए था। वसीयत को गवाहों से प्रमाणित नहीं करवाया गया। अमरलाल सहरिया जाति का व्यक्ति था। सहरिया जाति अनुसूचित जनजाति में आती है और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वसीयत के आधार पर वाद प्रस्तुत करने से पूर्व वादिनी रेस्पोडेंट नं. 1 को वसीयत को सक्षम न्यायालय में प्रोबेट करवाना चाहिए था।

9 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न प्रदर्श पी.–1, पी.–2, व पी.–3 से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी अमरलाल पुत्र लोहसे के नाम दर्ज थी, जो अमरलाल् की मृत्यु के बाद बेवा वीरों अहीर अमरलाल के नाम दर्ज हुई और वीरों की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी हेमराज पुत्र, सोना पुत्री व सरवदी बेवा गणपत के नाम दर्ज हुई। इस वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में वादिनी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी के मूल खातेदार अमरलाल पुत्र लोहसे थे, जिनकी कोई जायन्दा औलाद नहीं थी, विवाह भी नहीं हुआ था। अमरलाल ने वीरो नाम की औरत जो जाति से अहीर थी को पत्नी बनाकर रख लिया था। खातेदार अमरलाल ने दिनांक 02.08.1995 को अपनी रखी पत्नी वीरो की सहमति से वादिनी के हक में विवादित आराजी की रजिस्टर्ड वसीयत वादिनी के हक में निष्पादित कर पंजीयन कराई है, जिस पर वादिनी खातेदार अमरलाल के जीवनकाल से ही काबिज होकर निरन्तर काश्त करती चली आ रही है। रजिस्टर्ड वसीयत तथा कब्जे के आधार पर वादिनी उक्त विवादित आराजी की अपने नाम घोषणा करवाकर राजस्व जमाबंदी में बतौर खातेदार अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी है। अपने इस कथन की पुष्टि हेतु वादिनी द्वारा खातेदार अमरलाल द्वारा वादिनी के पक्ष में निष्पादित वादग्रस्त आराजी की रजिस्टर्ड वसीयत पेश की है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श–4 है। वसीयत पर गवाह के रूप में गवाह ऊँकार के हस्ताक्षर व गवाह दोज्या की अंगूठा निशानी अंकित है। वादिनी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड वसीयत को प्रमाणित करवाने हेतु वसीयत पर हस्ताक्षर करने वाले गवाह ऊँकार का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। दौराने जिरह प्रतिवादी वकील गवाह ऊँकार ने वसीयत पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

10 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद में दो तनकीयात कायम की –

11 तनकी नं. 1 आया वादिनी मृतक अमरलाल की भान्जी होकर विवादित आराजीयात पर वसीयत दिनांक 02.08.1995 के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा कर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है ?

(दीपक रामचन्द्र मीणा)
भू–प्र... एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

12 इस तनकी को साबित करने का भार वादिनी पर था, जिसे वादिनी द्वारा अमरलाल द्वारा दिनांक 02.04.1995 में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत प्रदर्श–4 और वसीयत पर हस्ताक्षर करने वाले गवाह ऊँकार के माध्यम से साबित किया है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वसीयत के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

13 तनकी नं. 2 आया मृतक अमरलाल ने अपने बड़े भाई चिन्टू पुत्र लोहसे के बेटे गणपत को बचपन में गोद ले लिया था, जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं. 394 एवं 1097 नियमानुसार तस्दीक किये गये हैं ?

14 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा खातेदार अमरलाल ने गणपत को गोद लिया हो इसे सिद्ध करने हेतु अधीनस्थ न्यायलय में एवं अपीलीय न्यायलय के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य या गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है। रजिस्टर्ड गोदनामे के अभाव में वादिनी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड वसीयत को नकारा नहीं जा सकता। तनकी नं. 2 के विवेचन में अधीनस्थ न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि खातेदार अमरलाल सहरिया जाति का होकर अनुसूचित जनजाति का सदस्य था, जिसकी विरासत का नामान्तरकरण नं. 394 प्रदर्श–2 से औरत वीरो अहीर के नाम तस्दीक की गई है, जो पूर्णतया एवं प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक प्रतीत होती है क्योंकि प्रथमतः तो वीरो गैर अनुसूचित जनजाति की है और खातेदार अमरलाल की विवाहिता पत्नी भी नहीं है, जिसके नाम खातेदार अमरलाल की विरासत का दर्ज किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से नामान्तरकरण नं. 1097 प्रदर्श–3 जिसके जरिये वीरो की विरासत प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की गई है और अंकित सजरे में प्रतिवादीगण के पिता गणपत को वीरो का पुत्र दर्शाया गया है। जबकि प्रतिवादीगण ने स्वयं अपने जवाबदावे में गणपत को खातेदार अमरलाल के बडे भाई चिन्टू का पुत्र होना बताया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण का पिता गणपत खातेदार अमरलाल तथा वीरो का पुत्र नहीं है, इस कारण वीरो की विरासत प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होना न्यायोचित नहीं पाई जाती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की है। प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाबदावे की मद नं. 2 में यह कथन किया है कि मूल खातेदार अमरलाल पुत्र लोहसे सहरिया साकिन खुशालपुरा थे, जिनकी कोई जायन्दा औलाद नहीं थी, विवाह भी नहीं हुआ था, अमरलाल ने वीरो नाम की औरत जो जाति से अहीर थी को पत्नि बनाकर रख लिया था, जो खातेदार अमरलाल के साथ रहती थी। प्रतिवादीगण के इस कथन से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 2 का जो विवेचन किया गया है वह प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रतीत होता है।

15 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2019 यथावत रखा जाता है ।

16 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/12/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– हेमराज पुत्र श्री गणपत, आयु 24 वर्ष, जाति सहरिया,
2– सोना पुत्री श्री गणपत, आयु 31 वर्ष, जाति सहरिया,
निवासीगण खुशालपुरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)
.... **अपीलांट**

बनाम

1– श्रीमती बिन्दा पत्नि श्री मंगल, आयु 48 वर्ष, जाति सहरिया, निवासी शुभघरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां
.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2021/73**
मु.द.नं0 **31/2015**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **24.06.2019**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **18 माह 10 सन् 2023**

श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2019 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **28 माह 12 सन् 2023** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)